भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं:. 2675

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2026

फिरोज़ाबाद के कांच उद्योग से जुड़े पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कारीगरों का कल्याण

2675. श्री अक्षय यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि फ़िरोज़ाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग से जुड़े श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान औद्योगिक मंदी के दौरान उन्हें लक्षित कल्याणकारी सहायता प्रदान की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं अथवा इसी प्रकार की ऋण-संबद्ध कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत फ़िरोज़ाबाद के लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्लस्टरों में पारंपरिक कारीगर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जिसमें छात्रवृत्ति तथा सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच भी शामिल है, की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उद्योग-व्यापी मंदी की अवधि के दौरान ऐसे संकटग्रस्त कारीगर समुदायों के लिए किसी समर्पित कल्याणकारी पैकेज शुरू करने पर विचार किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): मंत्रालय के पास ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुसूची 'ग' का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, अन्य पिछड़ा वर्ग के उन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता

है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख रुपये तक है। यह संस्था उन्हें अपनी ऋण आधारित योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दरों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे शिक्षा ऋण सहित आय सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनबीसीएफडीसी की ऋण योजनाओं के तहत फिरोजाबाद में संवितरित निधियों और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2023-24	6
2.	2024-25	2
3.	2025-26	1

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुसूची 'ग' का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, अनुसूचित जातियों के उन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख रुपये तक है। यह संस्था उन्हें अपनी ऋण आधारित योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दरों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे शिक्षा ऋण सहित आय सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी की ऋण आधारित योजनाओं के तहत फिरोजाबाद में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2023-24	159
2.	2024-25	45
3.	2025-26	20

(घ) एवं (ङ): मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
